न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या ::– 56/2007

महिपालसिंह आत्मज स्व. राव जगन्नाथसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली तहसील बेगूँ के बजाए ::–

1/1–अजय जीतसिंह आत्मज स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली

1/2–श्रीमती हंसाकुमारी पत्नि स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली

वादीगण

विरूद्ध

1– श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ़

2– श्रीमान तहसीलदार साहब, बेगूँ

3– श्रीमान वन मंडल जिला वन अधिकारी महोदय चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार राज.सरकार

निर्णय दिनांकः– 27.11.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी की माता स्व0 हेमकुंवर पत्नी स्व0 जगन्नथसिंह जी चौहान निवासी पारसोली तह0 बेगूँ को तत्कालीन पारसोली ठीकाने द्वारा मौजा पारसोली की आराजी नं0 86, 87, 88 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि सन 1950 में पट्टे पर दी गयी है। तभी से श्रीमती हेमकुंवर उस पर काबीज चली आ रही थी उनका स्वर्गवास हो जाने से वादी जरिये वसीयत उनका वारिस व उत्तराधिकारी बना है और इस आराजी पर काबीज चला आ रहा है। यह रकबा बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 4 में दर्ज हुआ है।

कि उक्त आराजी का रदोबदल कर्मचारियों की लापरवाही से श्रीमती हेमकुंवर के नाम नहीं हुआ एवं चूंकि वक्त ठीकाना बिलानाम थी जो बादमें भी बिलानाम ही दर्ज हो गयी और भू–प्रबन्ध में भी बिलानाम दर्ज हो गयी और आज तक बिलानाम चली आ रही है। पारसोली ठीकाना मेवाड राज्य के प्रथम श्रेणी के ठीकानो मे से है जहां के जागीरदार सा. को भूमि पट्टे देने का पूरा अधिकार था।

कि उपरोक्त भूमि को पट्टे के आधार पर रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु स्व0 श्रीमती हेमकुंवर वादी ने राजस्व कर्मचारियों के समक्ष काफी प्रयास किया किन्तु कोई ध्यान नहीं देने से वादी के लिए यह धोषित कराना आवश्यक है कि मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की आराजी नं0 86, 87 व88 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा रकबा वादी का है जो वर्तमान आराजी नं0 4 में शामिल हो जाने से वर्तमान आराजी नं0 4 मे से 17 बीधा 5 बिस्वा रकबा वादी के खातेदारी में घोषित कराकर रेकार्ड में दर्ज कराने का वादी अधिकारी है। क्यो कि वादी इस रकबे पर काबिज चला आ रहा है एवं अपने जीवन प्रयन्त श्रीमती हेमकुंवर जी इस रकबे पर काबीज रही है।

कि बिनाए दावा दिनांक 01.07.2006 से शुरू होती है जबकि वादी को अंतिम रूप से यह विश्वास हो गया कि बिना हक की घोषणा कराये राज्य के रेकार्ड मे दुरूस्ती नहीं होगी जो प्रतिदिन हो रही है। आराजी ग्राम पारसोली तह0 बेगूँ में स्थित होने से एवं खातेदारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा हेतु यह वाद होने से समायत न्यायालय आप है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

कि यह वाद राजस्थान राज्य एवं उसके अधिकारियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्हें दफा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 11.9.2006 को दिया गया जिसे दो माह से भी अधिक अवधि हो चुकी है और कोई दुरूस्ती रेकार्ड में नहीं की गयी है जिससे यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि :

(अ) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा पारसोली तह0 बेगूं की वर्तमान आराजी नं0 4 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा रकबा वादी का है और रेकार्ड मे भी वादी के नाम दर्ज करने की डिकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावें।

(ब) खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(स) अन्य सहायता जो मुफीद वादी हो दिलवायी जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार श्री तहसीलदार बेगूं द्वारा इस प्रकरण में अपनी उपस्थित दी गई तथा जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि वाद पत्र की कलम संख्या एक अस्वीकार है तथाकथित पट्टा संख्या 115/3 कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता है, शेष कथन वादी स्वयं सिद्ध करें।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। तथाकथित पट्टा प्रभावहीन है प्रस्तुत पट्टे के आधार पर वादी को भूमि अपने नाम पर कराने का अधिकार नहीं है। वाद के कलम संख्या 4, 5, 6, 7 व 8 का जवाब अपेक्षित नहीं है।

यह है कि कलम संख्या 9(ए) अस्वीकार है वादी को प्रस्तुत पटटे के आधार पर कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है। वाद वादीया खारिज योग्य है।

पत्रावली में जवाब दावा राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी कायम की गई :—

1— आया कि मौजा पारसोली की वर्तमान आराजी संख्या 4 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा रकबा वादी का होने से वादी अपने नाम पर राजस्व रिकोर्ड में अंकित कराने की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है? वादी

2— आया कि वादी पट्टे के आधार पर वाद लाने के अधिकारी नहीं है?

प्रति. तहसीलदार,बेगूं

3— दादरसी ?

पत्रावली पर तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी महिपालसिंह आत्मज स्व0 जगन्नाथ सिंह जी के साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे तथा वक्त प्रदर्श दस्तावेज उनके बयान रिजर्व रखे जाने एवं उसके पश्चात उनकी बजाय उनके पुत्र वादी अजयदीप सिंह के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये तथा वक्त मुख्य परीक्षण जिरह प्रतिवादी की निल रही है। इस प्रकार पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी की पूर्ण होने तथा प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर पत्रावली पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि वादी स्व0 श्री महिपालसिंह जी की माता हेमकुंवर को ठीकाना पारसोली से मौजा पारसोली की आराजी संख्या 86, 87 व 88 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि दी गई तभी से भूमि पर काबिज है। बन्दोबस्त के वाद इस आराजी के नवीन नम्बर 4 हुए है उक्त भूमि हमारे खाते में दर्ज नहीं की गई है जवकि हम भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ)

अतः भूमि दर्ज कराये जाने हेतु यह घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, चूंकि यह वाद राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके लिए वादीगण द्वारा नियमानुसार दफा 80 जा.दी. का नोटिस भी जारी किया गया किन्तु कोई कार्यवाही हमारे पक्ष में नहीं किए जाने ये यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाते हुए भूमि को हमारे नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की घोषणा फरमाई जावें। बहस में प्रतिवादी तहसीलदार बेगूं द्वारा निवेदन किया कि मात्र यह पट्टा को आधार पर मानते हुए वादीगण को यह वादपत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है। जमाबंदी के अनुसार मौजा पारसोली की आराजी नं0 4 रकबा 10.6800 हैक्टर किस्म पठार भूमि है जो राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित सेटअपार्ट के रूप मे अन्य आराजी के साथ दर्ज है। इस भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। दावा वादीगण का खारिज फरमावें।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में वादीगण की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के गुणावगुण पर विचार करते हुए नियमानुसार पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह दावा पत्र का मुख्य आधार पट्टार नम्बर 115 ड/3 जो कि प्रदर्श–1ए ही हैं। यह पट्टा जो जारी किया गया है उसकी लेखनी इस प्रकार से है'' सिध श्री महाराजाधिराज महाराव जी श्री जगन्नाथ सिंह जी बंचनाथ रानी साहिबा श्री हैमकुंवर जी जो कि मोजा पारसोली में ठिकाने की आराजी नम्बर 86 व 87 व 88 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 7 मे से 40 बीघा सहिता भूमि कुल मय हक हकूक तुमको हाथ खर्च है, तू बक्षीस दी जाती सो जोगज्यो भोगज्यो था स कोई पोरूण है नही सं. 2007 का जेठ सुध 14 मंगलवार तारीख 30.05.50ई. दस्तखत उदसिंह कोठारी का श्रीमान हुजुर साहब का हुकम से'' इस प्रकार राव साहब ने अपनी रानी को हाथ खर्चे के लिए यह भूमियां दिये जाने का उल्लेख किया है, जहॉ तक इस पट्टे के मूल होने का प्रश्न है यह पट्टा मूल नहीं है, क्यो कि इस पर लगी हुई मोहर स्पष्ट नहीं होती हैं। वैसे भी जो भूमि जगीरदार साहब के हक खाते में होती है तो वह ही उन्हें दिये जाने का अधिकार था, जैसा कि यह पट्टा जो गत आराजी संख्या 86, 87 व 88 मे से भूमि दिये जाने का जारी किया है सो उक्त भूमि राव साहब के खाते थी या नहीं है इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है वैसे भी जागीर रिज्यूम होने से पूर्व समस्त भूमियों के राजा व रानी वे स्वयं ही हकदार होते थे तो अलग से भूमि का पट्टा देने का कारण न्यायसंगत नहीं हैं। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा पारसोली की सम्वत 2064 जो कि प्रदर्श–5 है में गत आराजी संख्या 86,87 व 88 के नवीन आराजी संख्या 4 होना बताया है जबकि आराजी संख्या 4 रकबा 10.6800 हैक्टर भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित सेट अपार्ट होना दर्ज अंकित है। भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल में गत व नवीन नम्बरान का मुकावला जो अंकित किया है उसमें गत आराजी संख्या 87 के नये नम्बर 4 बने होकर रकबा 66 बीघा 15 विस्वा भूमि गैरमुमकिन पठार दर्ज अंकित है कि लेकिन पूर्व के इन्द्राज में भूमि प्रारम्भ से ही विलानम दर्ज होना अंकित किया हुआ है, यदि वादीगण का काश्त होती तो निश्चित उनका नाम दर्ज होना चाहिए था। इससे यह सिद्ध है कि भूमि पर इनका कोई कब्जा काश्त नहीं है यानि भूमि विलानाम पर यदि कब्जा काश्त होता तो निश्चित ही इनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई होती है। इस प्रकार भूमि पर इनका कब्जा काश्त भी नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रदर्श–7 ईच्छा पत्र (विल) की छायाप्रति है जो कि श्रीमति रानी हेमकुमारी पत्नि राव जगन्नाथ सिंह जी द्वारा उनके पुत्र राव महिपालसिंह के पक्ष में लिखी गई हैं। प्रदर्श–8 जो कि आदेश न्यायालय डा. कु. राव बहादुरसिंह आर.ए.एस अपर कलेक्टर (प्रथम) चितौडगढ द्वारा दिनांक 18.2.1987 को सीलिंग प्रकरण संख्या 6/1985 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम श्री राव जगन्नाथ सिंह वगै. में दिये गये निर्णय की प्रति है। जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया इस निर्णय में श्रीमती हेमकुंवर पत्नी जगन्नाथ सिंह जी को पारसोली की आराजी संख्या 4 में जो 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये पट्टा सं0 115/3 दिनांक 30.5.50 से दिये जाने का अंकन है किन्तु उसके नीचे नोट अंकित किया है कि" यह भूमि कोटा चितौडगढ रेल्वे लाईन में आवाप्त कर ली गयी है जिसका मुआवजा बकाया है" इस प्रकार जो भूमि को चितौडगढ को राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है उसका मुआवजा इन्होने नहीं लिया है लेकिन इस भूमि को पुनः प्राप्त करने हेतु यह दावा लाने का अधिकार ही नहीं हैं, क्यो कि रेल्वे विभाग द्वारा भूमि का मुआवजा जमा सरकार करवा दिया है। वैसे भी इस दावा पत्र में रेल्वे विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है। वेसे वादी द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार दफा 80 जा.दी. का विधिवत नोटिस दिया गया है किन्तु जो भूमि रेल्वे विभाग की भूमि के रूप में दर्ज है उसका पुनः प्राप्त करने का अधिकार अब वादीगण को नहीं है। ना ही भूमि पर कोई कब्जा इनका है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण तहसीलदार बेगूँ का है जिन्होने पत्रावली में अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया है किन्तु कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वैसे भी दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया गया है क्यो कि जिस भूमि को जरिये पट्टे रानी हेमकुंवर सा. को ठीकाना पारसोली से दी गई है वह पट्टा संख्या 115/3 का उल्लेख सीलिंग के निर्णय में भी अंकित है किन्तु वे भूमि कोटा चितौडगढ रेल्वे लाईन में आवाप्त कर ली गयी है जिसका मुआवजा बकाया है। यानि भूमि वादी महिपालसिंह जी की माता हेमकुंवर के खाते लगने से पूर्व ही रेल विभाग द्वारा आवाप्त करली जाकर उसका नियमानुसार मुआवजा दे दिया गया था, तो इस भूमि को पुनः प्राप्त करने का अधिकार वादीगण को नहीं है, यह भूमि जब रेल विभाग के खाते में गई है तो उन्हें रेल विभाग में ही इसकी कार्यवाही चाराजोही करनी चाहिए या उन्हें भी प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार यह तनकी दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी को वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपने पक्ष में निर्णित करा पाने में विफल रहे है। साथ ही जिस भूमि यानि मौजा पारसोली की आराजी संख्या 4 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि की घोषणा के लिए यह दावा प्रस्तुत किया है वे भूमि रेल्वे विभाग की भूमि है जो इस दावे में पक्षकार नहीं है तथा रेल विभाग द्वारा भूमि को प्राप्त करने हेतु मुआवजा जमा कराने का उल्लेख भी दस्तावेज में है। इस प्रकार इस भूमि की घोषणा करा पाने के वादीगण अधिकारी नहीं है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी),

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या ::– 56/2007

महिपालसिंह आत्मज स्व. राव जगन्नाथसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली तहसील बेगूँ के बजाए ::–

1/1–अजय जीतसिंह आत्मज स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली

1/2–श्रीमती हंसाकुमारी पत्नि स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली

वादीगण

विरूद्ध

1– श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

2– श्रीमान तहसीलदार साहब, बेगूँ

3– श्रीमान वन मंडल जिला वन अधिकारी महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है । दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं ।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ